न्यायाधीश-बालक न्यायालय/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) जनपद बलरामपुर।
(पीठासीन अधिकारी-राहुल सिंह-II (एच०जे०एस०)आई०डी० क्रमांक-यू०पी०-1851)

UPBP010024742026

आपराधिक अपील संख्या-38/2026
मुकदमा अपराध सं०-94/2026
धारा-109(1),191(2),191(3)बी०एन०एस०
CNR No.-UPBP010024742026
पुलिस थाना-पचपेड़वा
जिला-बलरामपुर (उ०प्र०)

विधि विवादित किशोर (जिसे निर्णय में आगे 'पी' नाम से सम्बोधित किया जाएगा) उम्र लगभग 15 वर्ष 04 माह पुत्र इकबाल शाह निवासी ग्राम गौरडीह कुशुमहर थाना पचपेड़वा जनपद बलरामपुर संरक्षिका अनवर जहां पत्नी इकबाल शाह निवासी ग्राम गौरडीह कुशुमहर थाना पचपेड़वा जनपद-बलरामपुर.....अपीलार्थी

बनाम

1. उ०प्र०सरकार
2. फरियादी.....अभियोजन/विपक्षीगण

निर्णय

(आज दिनांक-07.08.2026 को उद्घोषित)

राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री पवन कुमार शुक्ला उपस्थित
किशोर अपचारी की ओर से श्री डॉ० राजेश कुमार त्रिपाठी, विद्वान अधिवक्ता उपस्थित

---

1. प्रस्तुत पत्रावली माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, बलरामपुर के आदेश दिनांक 30.07.2026 के अनुपालन में निस्तारण हेतु इस न्यायालय को अन्तरण द्वारा प्राप्त हुई।

2. प्रस्तुत प्रथम आपराधिक अपील धारा-101 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत किशोर न्याय बोर्ड, बलरामपुर द्वारा मु०अ०सं०-94/2026, धारा-109(1), 191(2), 191(3) बी०एन०एस० थाना-पचपेड़वा, जनपद बलरामपुर के प्रकरण में पारित आदेश दिनांकित 29.07.2026 के विरूद्ध संस्थित की गई है, जिसके अंतर्गत किशोर अपचारी 'पी' का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया है।

3. अपीलार्थी की ओर से दाखिल अपील में प्रमुख रूप से यह आधार लिये गये हैं कि पी की उम्र घटना के समय 15 वर्ष 03 माह थी, जिसे किशोर न्याय बोर्ड द्वारा दिनांक 21.07.2026 को किशोर घोषित किया जा चुका है। विद्वान किशोर न्याय बोर्ड द्वारा इस तथ्य पर कोई ध्यान नही दिया गया कि अभियोजन कथानक के अनुसार अपीलार्थी पर पुरानी रंजिश के कारण प्रतिवादी सं० 2 के भाई को गम्भीर चोट पहुंचाने और जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया गया है, जबकि कथित चोटहिल की चिकित्सीय आघात आख्या के अनुसार कथित चोटहिल को आयी चोटें सामान्य प्रकृति की है, यहाँ यह तथ्य उल्लेख करना भी समीचीन होगा कि विधि विवादित किशोर की जमानत केवल इस आधार पर निरस्त नही कि जा सकती है कि अपराध गम्भीर है तथा मा० उच्च न्याालय इलाहाबाद द्वारा यह विधि स्थापित की गई है कि अपराध की गम्भीरता जमानत के निरस्तीकरण का आधार नही है। विद्वान किशोर न्याय बोर्ड द्वारा स्थापित विधि को समझने में विफल रही है, क्योंकि किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 12 विधि विवादित किशोर की जमानत के सम्बन्ध में मुख्यतः तीन आधारों पर निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि, क्या विवादित किशोर जमानत पर छुटने से किसी ज्ञात अपराधी के सम्पर्क में आ सकता है. या उसके नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक रूप से किसी गम्भीर खतरों में पड सकता है, या उसके रिहा होने से न्याय की प्रक्रिया बाधित होगी या विफल हो जायेगी।

4. अपीलार्थी की ओर से अपील में यह भी आधार लिया गया है कि उपरोक्त स्थितियों के सम्बन्ध में मा० उच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि किशोर की जमानत मात्र उस दशा में निरस्त की जा सकती है, जब धारा 12 के प्रावधान पूर्ण होते है तथा ऐसे आधार अन्दाजे से नही लगाये जा सकते उनके लिये मौलिक साक्ष्य का होना आवश्यक है। धारा 12 अधिनियम 2015 में उल्लेखित परिस्थितियों के सम्बन्ध में विद्वान किशोर न्याय बोर्ड द्वारा अपीलार्थी के सम्बन्ध में जिला बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा सामाजिक अन्वेषण आख्या दिनांकित 27.07.2026 में उल्लेखित आख्या का भी सम्यक विवेचन करने में असफल रही है, क्योंकि उक्त आख्या में यह उल्लेखित किया गया है कि अपचारी के परिवार में माता-पिता भाई बहन है, परिवार के सभी सदस्यों का आपस में सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण बताया गया है, अपचारी की सामाजिक, बौद्धिक, मानसिक स्थिति सामान्य होना दर्शित की गई है, परिवार के सदस्यों की अपराध में भागीदारी न होने का कथन किया गया है, घर में व समाज में अनुशासन के प्रति बालक का व्यवहार सामान्य बताया गया है, बालक की मित्रो के प्रति अभिवृत्ति एवं बालक के प्रति मित्रों की अभिवृत्ति सामान्य बताई गई है, इसके अतिरिक्त उपस्थिति जन सामान्य द्वारा उक्त किशोर के सम्बन्ध में बताया गया कि किशोर का आचारण एवं व्यवहार अच्छा है, बालक को पहले किसी अपराध के गिरफ्तार किये जाने का कोई साक्ष्य नही मिला है तथा बाल

कल्याण अधिकारी द्वारा यह सिफारिश की गई है कि उपस्थित जनसामान्य द्वारा बताया गया कि अपीलार्थी अपने परिवारवालों के साथ नागपुर महाराष्ट्र में रहकर पढ़ायी लिखायी करता था वह जब कभी गॉव आता है तो गॉव व समाज में शान्तिपूर्वक से रहता था, उपस्थित ग्रामवासियों व ग्राम प्रधान द्वारा अपीलार्थी के सामाजिक पुर्नवासन पर कोई आपत्ति या विरोध नही किया गया है तथा यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी वर्तमान में कक्षा 10 का छात्र है।

5. अपीलार्थी की ओर से अपील में यह भी आधार लिया गया है कि अपीलार्थी के विद्यालय में उसकी कक्षा 10 का पठन पाठन कार्य चल रहा है लेकिन प्रार्थी के निरूद्ध होने के कारण उसकी शिक्षा प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है, जबकि किशोर न्याय अधि० 2015 का मुख्य उद्देश्य किशोर अपचारी का सर्वोत्तम हित सुनिश्चित करना है। पत्रावली पर इस आश्य का भी कोई प्रमाणिक साक्ष्य उपलब्ध नही है कि अपीलार्थी के जमानत पर छोडे जाने से वह ज्ञात अपराधियों के ससर्ग में आ सकता है, विद्वान किशोर न्याय बोर्ड द्वारा केवल अनुमान के आधार पर मत प्रकट किया गया है। विद्वान किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश में प्रार्थी के विरूद्ध लगाय गये आरोप को जघन्य प्रकृति का बताया गया है, जबकि अधि० 2015 की धारा 2(33) के अनुसार उन्ही अपराधों को जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है, जिनमें न्यूनतम सात वर्ष के कारावास का दण्ड का प्रावधान हो, जबकि प्रार्थी के विरूद्ध दर्शित आरोप 109 (1) बी०एन०एस० में किसी प्रकार के न्यूनतम दण्ड का कोई प्रावधान नही है, इसलिये प्रार्थी के विरूद्ध दर्शित अपराध जघन्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। अपीलार्थी जमानत पर रिहा होने के उपरान्त किसी ज्ञात अपराधी के संसर्ग में नही आयेगा।

6. अपीलार्थी की ओर से अपील में यह भी आधार लिया गया है कि अपीलार्थी को जमानत पर रिहा किये जाने से उसके नैतिक, शारीरिक, व मनोवैज्ञानिक रूप से कोई खतरा नहीं होगा क्योंकि वह उचित संरक्षिता में रहेगा। अपीलार्थी के पास से कोई बरामदगी नही है। अपीलार्थी दिनांक 19.06.2026 से राजकीय संप्रेषण गृह में निरूद्ध है, जिस कारण उसकी शिक्षा बाधित हो रही है। उपरोक्त कथनों के आधार पर इस प्रकार किशोर अपचारी 'पी' की ओर से उसकी अपील स्वीकार करते हुए उसे उचित जमानत व व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा किये जाने की याचना की गई है।

7. संक्षेप में प्र०सू०रि० के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/सूचनाकर्ता रिजवान ने दिनांक 17.06.2026 को थाना-पचपेड़वा में इस आशय का प्रार्थनापत्र दिया कि वादी रिजवान ग्राम-कुश्महर गौरडीह, थाना-पचपेड़वा, जनपद-बलरामपुर का मूल निवासी है। पुरानी रंजिश के कारण आरिफ, तारिफ, शकील, प्रवेज वादी के भाई

मो० शफी के ऊपर कुल्हाड़ी, चाकू व फरसा से मारने लगे, जिससे उनको गम्भीर चोटें आई और जान से मारने की पूरी कोशिश हुई है, जिसकी हालत बहुत नाजुक है सी०एच०सी०, पचपेड़वा ले जाया गया प्राथमिक उपचार के बाद हालत गम्भीर देख जिला अस्पताल, बलरामपुर रेफर कर दिया गया। वादी के उक्त आशय के प्रार्थनापत्र के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा-109(1), 191(2), 191(3) भारतीय न्याय संहिता के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होकर अनुसंधान कार्यवाही आरम्भ की गई।

8. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

9. पत्रावली के अवलोकन से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि विद्वान किशोर न्याय बोर्ड, बलरामपुर द्वारा पारित आदेश दिनांकित 21.07.2026 के माध्यम से किशोर अपचारी 'पी' की उम्र 15 वर्ष 03 माह 00 दिन पाते हुए किशोर अपचारी घोषित किया जा चुका है। पत्रावली तथा संलग्न पुलिस प्रपत्रों से किशोर अपचारी 'पी' द्वारा पुरानी रंजिश के कारण फरियादी के भाई को कुल्हाड़ी, चाकू, फरसा से मारकर गम्भीर चोटें पहुंचाने व जान से मारने का प्रयास करने के अपराध का समर्थन होता है, परन्तु **किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा-18 (छ) के अनुसार किसी बालक को सुधारात्मक सेवाएं प्रदान करने के लिए विशेष गृह में तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए निरूद्ध किया जाना निषेधित किया गया है।** पत्रावली के साथ संलग्न प्रलेखीय साक्ष्य से उभय पक्ष के मध्य पुरानी रंजिश का होना पाया गया है। पत्रावली में संलग्न पुलिस आख्या दिनांकित 03.08.2026 व जिला प्रोबेशन अधिकारी, बलरामपुर द्वारा प्रेषित सामाजिक जांच आख्या दिनांकित 06.08.2026 में भी किशोर अपचारी 'पी' के सम्बन्ध में कोई विपरीत कथन नहीं किया गया है, ऐसा प्रतीत होता है कि किशोर अपचारी में सुधार की आवश्यकता है। किशोर अपचारी 'पी' दिनांक 19.06.2026 से राजकीय संप्रेक्षण गृह (गोण्डा) में निरूद्ध है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में किशोर अपचारी 'पी' की ओर से प्रस्तुत आपराधिक अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

(i). तद्नुसार विधि विवादित किशोर 'पी' पुत्र इकबाल शाह की ओर से मु०अ०सं०-94/2026, धारा-109(1), 191(2), 191(3) बी०एन०एस० थाना-पचपेड़वा, जनपद बलरामपुर के प्रकरण में प्रस्तुत आपराधिक अपील सं०-38/2026 स्वीकार की जाती है तथा विद्वान किशोर न्याय बोर्ड, बलरामपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक-29.07.2026 अपास्त किया जाता है।

(ii). अपील के सम्बन्ध में यह भी आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी/संरक्षिका/आवेदिका/माता द्वारा मु० 40,000/-(चालीस हजार रूपये) का सुपुर्दगीनामा एवं इतनी ही राशि के दो सक्षम जमानत व बंधपत्र विद्वान किशोर न्याय बोर्ड, बलरामपुर के समक्ष निष्पादित किये जाने पर विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर अपचारी 'पी' को उसकी संरक्षिका/माता/आवेदिका की सुपुर्दगी में दिया जावे।

(iii). आदेश की सत्यापित प्रति वास्ते सूचनार्थ किशोर अपचारी को जरिये ई-मेल अधीक्षक, राजकीय संप्रेक्षण गृह (किशोर), गोण्डा (उ०प्र०) की ओर अविलम्ब प्रेषित की जावे।

दिनांक-07.08.2026

(राहुल सिंह-द्वितीय)
न्यायाधीश-बालक न्यायालय/
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट,
बलरामपुर (उ०प्र०)
J.O.Code-UP1851

Digitally signed by RAHUL SINGH
Date: 2026.08.07 16:49:17 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court